खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित दिनांक 27.05.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों के साथ हुई विडियो कन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही

FAX
E-Mail

उपस्थिति

1. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
4. उप महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना
5. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना

कार्यवाही

मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को इस आशय का निदेश दिया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये शत प्रतिशत धान को एक सप्ताह के अंदर मिलरों को पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी जिलों से यह बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध अद्यतन किसी किसान का भुगतान लंबित नहीं है। कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध कुछ पैक्सों का भुगतान राज्य खाद्य निगम के पास लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को पैक्सों का लंबित भुगतान शीघ्र करने हेतु निदेशित किया गया। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के भंडार का बीमा एवं सरकार की गारंटी की प्रत्याशा में चार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल स्वीकृत ऋण के विरूद्ध 50 प्रतिशत यानि 1300 करोड़ रूपये की राशि बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी गई। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है परन्तु तत्काल पैक्सों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। अधिप्राप्ति कार्यक्रम में राज्य खाद्य निगम को किसी प्रकार की क्षति का वहन नही करना पड़े, इसलिए मुख्य सचिव ने प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम को मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से तत्काल 300 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति चक्र के सुचारू संचालन हेतु महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि सभी जिलों, विशेष कर धान बाहुल्य जिलों में पर्याप्त भंडारण/गुण नियंत्रक/सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त डिपों की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि सी0एम0आर0 प्राप्त करने का कार्य बाधित न हो एवं समय सीमा के अन्दर अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 की कुल मात्रा प्राप्त कराया जाना संभव हो सके।

समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सी0एम0आर0/गेहूँ के मद में भारतीय खाद्य निगम के पास अत्यधिक राशि बकाया

है। मुख्य सचिव द्वारा महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को सख्त निर्देश दिया गया कि इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लें एवं धान बाहुल्य राजस्व जिलों का कैश क्रेडिट लिमिट शीघ्र बढ़ाने की कार्रवाई करें ताकि भुगतान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे एवं राशि के अभाव में अधिप्राप्ति का चक्र बाधित न हो।

सभी जिला पदाधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया कि सीमित भंडारण क्षमता, पर्याप्त गुण नियंत्रक का अभाव एवं सप्ताह में तीन दिन ही सी0एम0आर0 प्राप्त करने के रोस्टर के कारण भारतीय खाद्य निगम मिलिंग क्षमता के अनुपात में सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सीमित भंडारण क्षमता के कारण अधिप्राप्ति किये गये धान अभी भी खुले में रखे हुए हैं। उक्त आलोक में मुख्य सचिव ने पुनः दुहराया कि आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में धान को खुले में न रखा जाय। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जिन मिलों को उनके द्वारा दी गई बैंक गारंटी के अनुपात में धान दिया गया तथा दिये गये धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 तैयार कर लिया गया है तथा यह सी0एम0आर0 मिलर के पास भंडारित है तत्पश्चात उस स्थिति में मिलर द्वारा दिये गये बैंक गारंटी के अनुपात में धान का अगला लॉट मिलिंग हेतु उपलब्ध करा दिया जाय । यह जिला प्रबंधकों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । जिला प्रबंधक उक्त मिलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास सी0एम0आर0 तैयार है तथा धान का अगला लॉट रखने हेतु पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई ।

30.5.13

(ए0 के0 सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र04/वि0अधि0–07/11– 3390 खाद्य, पटना/दिनांक– 31/5/2013

प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/मुख्य सचिव कोषांग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/13

(सत्य प्रकाश)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना